आदेश या कार्यवाही सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0– 05/2019–20

आवेदक– विकाश सोरेन

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– पलटनगंज एवं बोहा

आदेश

18.7.19

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 432/रा0, दिनांक 01.07.2019 के द्वारा मौजा बोहा एवं पलटनगंज के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से कहा है कि स्व0 सुसाना सोरेन पूर्व बहाल प्रधान आवेदक की माँ थी, जो मौजा पलटनगंज एवं बोहा की बहाल प्रधान थी। जिनकी मृत्यू दिनांक 23.10.2018 को हो चुकी है। वर्तमान में आवेदक विकाश सोरेन मौजा के कार्यवाहक प्रधान का कार्य कर रहे हैं। पूर्व बहाल प्रधान की मृत्यू के बाद मौजा का प्रधानी पद रिक्त है और आवेदक पूर्व प्रधान का एक मात्र उत्तराधिकारी है। आवेदक द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा पलटनगंज एवं बोहा के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 432/रा0, दिनांक 01.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि सुसाना बेसारा, पति– स्व0 कशराय सोरेन, सा0– बोहा, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के प्रधानी बहाली केश सं0 06/2014–15 के द्वारा मौजा पलटनगंज एवं बोहा का प्रधान नियुक्त किया गया था, जिनकी मृत्यू दिनांक 23.10.2018 को हो जाने के कारण उक्त दोनों मौजा का प्रधानी पद रिक्त हो गया है। आवेदक विकास सोरेन पूर्व प्रधान स्व0 सुसाना बेसारा के पुत्र है और एक मात्र उत्तराधिकारी है एवं उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये है। आवेदक शिक्षित एवं ईमानदार है तथा दानों मौजा के प्रधान पद के लिए योग्य है। अतएव उत्तराधिकारी के आधार पर अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा आवेदक को प्रधान पद पर बहाल करने की अनुशंसा किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव तथा ग्रामीणों के सहमति से आवेदक विकाश सोरेन को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

(हस्ताक्षर)

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

ज्ञापांक 302/वि0
दिनांक 23.7.19

Scanned with CamScanner